भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1524

दिनांक 03.05.2016/13 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

निषिद्ध औषधियों का भण्डारण और नष्ट करना

†1524. श्री भोला सिंहः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने देश में मादक पदार्थों के खतरे की स्थिति पर कड़ी टिप्पणी की है;
(ख) यदि हां, तो तसंबंधी ब्यौरा क्या है एवं सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या प्रवर्तन एजेंसियों की भी ड्रग माफियाओं से गठजोड़ एवं निषिद्ध औषधियों के भण्डारण और नष्ट करने में अनियमितताओं की आलोचना हुई है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और
(ड़) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क) और (ख): जी हां। माननीय उच्चतम न्यायलय ने भारत संघ बनाम मोहन लाल (वर्ष 2012 की दांडिक अपील संख्या 652) के मामले में देश में मादक पदार्थों के खतरे और जब्त मादक पदार्थों की चोरी/पुन: इस्तेमाल में लाने के संबंध में कड़ी टिप्पणियां की हैं।

देश में नशीले पदार्थों के खतरे को समाप्त करने के लिए निम्नानुसार सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं:

क) आयात और निर्यात बिन्दुओं पर सख्त चौकसी और प्रवर्तन।

ख) मादक पदार्थों की आवा-जाही के ज्ञात मार्गों पर गहन निवारक और रोक संबंधी प्रयास।

ग) इंटरनेट फार्मेसी, मेथामफेटामाइन प्रयोगशालाओं, कूरियर पार्सल आदि के ज़रिए होने वाले मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष प्रयास।

घ) संगत अधिनियम/नियम/अधिसूचनाओं के उपबंधों के अनुसार जब्त मादक पदार्थों को नष्ट करना।

ङ) उत्तरी, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में अफीम पोस्त और गांजे की अवैध खेती का पता लगाने के लिए सेटेलाइट चित्रों की अतिरिक्त सहायता लिए जाने के साथ उन्हें नष्ट करने के अभियान निरंतर आरम्भ किए जाते हैं।

च) राज्यों की स्वापक-रोधी इकाईयों का सुदृढ़ीकरण ।

छ) बेहतर आसूचना नेटवर्क और पड़ोसी देशों के साथ सूचना का आदान-प्रदान।

.....3/-

(ग) से (ड़): माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है कि चोरी, बदले जाने, उठाने और नष्ट करने कि खिलाफ कोई विश्वासनीय सुरक्षा मौजूद नहीं थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जब्त मादक पदार्थों को नष्ट करने/निपटान की कम प्रतिशतता के संबंध में अपनी चिंता भी व्यक्त की। उन्होंने किए गए मादक पदार्थों के ऊपर पर्यवेक्षण और नियंत्रण की उचित प्रणाली के साथ समुचित भण्डारण के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रर्वतन एजेंसियों द्वारा प्रर्याप्त कदम उठाए न जाने के बारे में टिप्पणी की।

इस संबंध में निम्नलिखित सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं:

1. माल खानाओं का आवधिक निरीक्षण।

2. दिनांक 10.05.2007 की सा०का०नि० 339 (अ) दिनांक 16.01.2015 की सा०का०नि० 38 (अ) के अनुसार जब्त मादक पदार्थों को सक्रिय रुपसे नष्ट करना/निपटान।

3. फील्ड स्टाफ को माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों से अवगत कराना।

*****